

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**EA NO. 3 OF 2026**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 162 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**NIRMAL KUMAR TRIPATHI**

**....APPLICANT**

**VERSUS**

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD &**

**ORS.....**

**RESPONDENT**

**INDEX**

<b>S.NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	RESPONSE BY RESPONDENT NO. 2, DISTRICT MAGISTRATE, DEORIA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 27.01.2026 OF THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SAID DM LETTER DATED 20.04.2026 IS BEING ANNEXED HERewith AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 20.04.2026 IS BEING ANNEXED HERewith AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF THE SAID CLOSURE ORDER DATED 12.06.2023 ALONG WITH SPOT MEMO DATED 27.06.2023 ARE BEING COLLECTIVELY ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-3</b>	
5.	A COPY OF THE SAID INSPECTION REPORT DATED 22.04.2024 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE-4</b>	
6.	COPIES OF THE INSPECTION REPORTS DATED 24.12.2025, 19.03.2026 AND 02.04.2026 ARE BEING COLLECTIVELY ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-5</b>	
7.	A COPY OF THE CLOSURE ORDER DATED 12.06.2023 ALONG WITH A SPOT MEMO DATED 27.06.2023 ARE BEING COLLECTIVELY ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-6</b>	
8.	A COPY OF THE SPOT MEMO DATED 22.04.2024 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE-7</b>	
9.	A COPY OF THE SAID INSPECTION REPORT IS BEING ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE-8.</b>	
10.	COPIES OF THE SAID INSPECTION REPORTS DATED 24.12.2025, 19.03.2026 AND 02.04.2026 ARE BEING	


	COLLECTIVELY ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-9	
--	---	--

*THROUGH COUNSEL*



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.  
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com)

Date: 22.04.2026  
Place: NOIDA



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
 PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EA NO. 3 OF 2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 162 OF 2025

IN THE MATTER OF:

NIRMAL KUMAR TRIPATHI .... APPLICANT VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD &

ORS..... RESPONDENT

RESPONSE BY RESPONDENT NO. 2, DISTRICT MAGISTRATE,  
DEORIA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER  
DATED 27.01.2026 OF THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Divya Mittal aged about 42 years w/o Shree Gagandeep Singh, presently posted as District Magistrate Deoria, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present



2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

### I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the original application, the Applicant had raised grievances regarding the operation of illegal brick kilns named M/s Saraswati Brick Field which has been operating since 2012 and M/s Jai Bajrang Bali Brick Udyog which has been operating since 2017 without obtaining requisite environmental clearance.

4. That in light of the Applicant's grievances, the Hon'ble Tribunal vide order dated 22.04.2025 had disposed of the OA by passing the following directions:

*"5. UPPCB will duly and expeditiously ascertain the truthfulness of the allegation and if it is found that brick kilns in question were operating in violation of the norms, orders of the Tribunal and closure order, then action will be taken by Member Secretary, UPPCB for levy of environmental compensation for the period in which respondents brick kilns had operated*

*illegally and had caused damaged to the environment."*



*OR*

5. That subsequently, the Applicant had filed an EA which was listed for hearing on 27.01.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response to the EA. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

2. *"Learned Counsel for the applicant submits that the directions of the Tribunal have not been complied with.*

3. *Issue notice to the respondents"*

## II. REPLY IS AS FOLLOWS

### A. DIRECTIONS ISSUED BY THE DISTRICT MAGISTRATE

6. It is submitted that vide letter dated 20.04.2026, the Deponent directed the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to apprise the Deponent what actions/steps have been taken in compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the said DM letter dated 20.04.2026 is being annexed herewith as ANNEXURE-1

### B. ON SITE- INSPECTION CONDUCTED BY THE UPPCB

7. It is submitted that vide letter dated 20.04.2026, the Regional Officer, UPPCB, Gorakhpur, informed the Deponent that an on-site inspection of the M/s Saraswati Brick Field and M/s Jai Bajrang Bali Brick Udyog was carried out on 02.04.2026 by the UPPCB officials.



*or*

A copy of the said letter dated 20.04.2026 is being annexed herewith as  
ANNEXURE-2

8. That the following was disclosed during the on-site inspection:

**C. M/S JAI BAJRANG BALI BRICK UDYOG**

9. It is submitted that owing to certain non-compliances, a closure order had been issued by UPPCB to the M/s Jai Bajrang Bali Brick Udyogvide letter dated 12.06.2023. In accordance of which, the operation of the unit was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration on 27.06.2023.


A copy of the said closure order dated 12.06.2023 along with Spot Memo dated 27.06.2023 are being collectively annexed herewith and marked as ANNEXURE-3

10. Further, an inspection of the said unit was again conducted on 22.04.2024 along with the fire department, district administration and police administration. It is submitted that during the inspection, the Brick Kiln was found to be closed.

A copy of the said inspection report dated 22.04.2024 is being annexed herewith as ANNEXURE-4

11. That, furthermore, 3 more on-site inspections had been conducted of the said unit on: 24.12.2025, 19.03.2026 and 02.04.2026. The said Brick

Kiln found closed on above dates.



*OR*

Copies of the Inspection reports dated 24.12.2025, 19.03.2026 and 02.04.2026 are being collectively annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**

**D. M/S SARASWATI BRICK FIELD**

12. It is submitted that a closure order had been issued by the UPPCB to M/s Saraswati Brick Field vide letter dated 12.06.2023. In compliance of which, the operations of the unit were forced to stop with the help of the fire department along with the presence of the district administration and police administration on 27.06.2023.

A copy of the closure order dated 12.06.2023 along with a Spot Memo dated 27.06.2023 are being collectively annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6**

13. That further, an on-site inspection dated 10.04.2024 was conducted during which the said unit was found operational violating the Closure order dated 12.06.2023. Accordingly, the said unit was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration on 22.04.2024.

A copy of the Spot Memo dated 22.04.2024 is being annexed herewith as **ANNEXURE-7**

14. That subsequently, an inspection was again conducted on 05.07.2024. During the inspection, the unit was found closed.



*OR*

A copy of the said Inspection Report is being annexed herewith as **ANNEXURE-8.**

15. That, 3 latest Inspections have been conducted of the above said unit on: 24.12.2025, 19.03.2026 and 02.04.2026. It is submitted that the Brick Kiln found closed on all above dates.

Copies of the said Inspection reports dated 24.12.2025, 19.03.2026 and 02.04.2026 are being collectively annexed herewith and marked as **ANNEXURE-9**

16. That in view of violating closure order of the UPPCB EC may be imposed on M/S Saraswati Brick Field from 01.10.2023 to 22.04.2024.



or

17. That further, the following recommendations have been given by the UPPCB officials in accordance with the site-inspection report:

- i. *“An Environmental Compensation of Rs.12,81,250.00 (Rs. Twelve Lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred and Fifty Only) may be imposed on Brick Kiln M/s Saraswati Brick Field, Vill-Khoraram, Post-BarhyaBujurg, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.*
- ii. *M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria was found closed on every site inspection complying with the closure order. Hence no action is pending against Brick Kiln M/s Jai Bajrang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.”*

18. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.



*OR*

19.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

*[Handwritten signature]*

DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at Deoria on this 22 day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 19 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*[Handwritten signature]*

DEPONENT

*[Handwritten signature]*  
22/4/2026



4119  
S.No. \_\_\_\_\_ Date 22.4.26 A.M./P.M.  
I Have Administered Oath To Shri M. Rati Dinva Mittal  
Identified by Shri \_\_\_\_\_  
I Have Satisfied By A.P. Bhardwaj of Deoria  
Examining The Deponent He \_\_\_\_\_  
Understands the Contents of affidavit \_\_\_\_\_  
Explained to him \_\_\_\_\_  
Prem Nath Pandey  
PREM NATH PANDEY  
Advocate  
Notary, Deoria

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्या 542 / वाद लि0-2026

दिनांक 20 अप्रैल, 2026


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 162/2025 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.04.2025 के अनुपालन में विषयक।

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी,  
कूडाघाट, गोरखपुर।

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 162/2025 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक: 01.04.2025 का अनुपालन समय से नहीं किये जाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष Execution Application No. 3/2026 (I.A. No. 39/2026) योजित किया गया है, जिसमें दिनांक 27.01.2026 को मा0 न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित कर सुनवाई तिथि 23.04.2026 को अनुपालन-प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत Original Application No. 162/2025 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन हेतु आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, से अधोहस्ताक्षरी को लौटती डाक से अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.04.2026 के पूर्व अनुपालन-प्रतिशपथ-पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
(दिव्या मित्तल)  
जिलाधिकारी,  
देवरिया।



73

Annexure - 02

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GORAKHPUR

पत्रांक: 93 / 401/OANo - 162/2025/2026 दिनांक: 20/04/2026

सेवा,

जिलाधिकारी महोदया,  
जनपद- देवरिया।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 162/2025 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन में विषयक।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 162/2025 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2026 के अनुपालन में मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम- बसडिला, तहसील-सादर, जनपद- देवरिया का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 02.04.2026 को किया जा चुका है। निरीक्षण आख्या की प्रति समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि उक्त निरीक्षण आख्या की प्रति श्री भंवर पाल सिंह जादौन, शासकीय अधिवक्ता, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सहायक अधिवक्ता श्री जिनेन्द्र को दिनांक 19.04.2026 को आपकी तरफ से प्रतिशपथ पत्र तैयार करने हेतु प्रेषित किया जा चुका है। सादर प्रेषित।

*Singh!*

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

*Singh!*

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

ic

क्षेत्रीय कार्यालय : महादेव झारखण्डी, आवास विकास कॉलोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर

मुख्यालय : TC-12V, विगृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010  
Website - www.uppcb.com, e-mail : rogorakhpur@uppcb.in



उत्तर प्रदेश, प्रदूषण निर  
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

JARD)

1196  
दिनांक 5.8.23/सी-6/ईट भट्टा/321/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023

17-6-23  
दिनांक

संका सं

पंजीकृत

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग  
ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी,  
तहसील-सदर,  
जनपद-देवरिया।

यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में अपने उद्योग कला जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, लकड़ी/कोयला का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(क) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.05.2023 को किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे का पूर्य दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम- बसडिला (आवादी लगभग 500) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-सहास (आवादी लगभग 450) उत्तर दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-दुटवल यादव का टोला (आवादी लगभग 200) एवं दक्षिण दिशा में ग्राम-सेमरहिया लगभग 800 मीटर की दूरी पर (आवादी लगभग 200) तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के तालाब-खोसराम मार्ग लगभग 3.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। ईट भट्टे का स्थल 30प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थान-आमदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में पलू मैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को बंद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टा द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/सफटीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किने दिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (संशोधित) के आलापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे का संचालन को रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया को विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (संशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया को संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि उक्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खतम अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे का मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।

क्षेत्रीय अधिकारी, 30प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
पृष्ठ-6

Atul Kumar Yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
पृष्ठ-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

ऑफिस प्राप्ति  
17-6-23

पत्रांक : 5582/सी-6/ईट भट्टा/834/नस्ती आदेश/गोरखपुर/2023

दिनांक ..... 12/5/23

सेवा में,

मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग  
ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग,  
तहसील-सदर,  
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया द्वारा खुले अपने उद्योग कय कथित, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु मानकों के प्रतिकूल संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(1) के अन्तर्गत एक उद्योग है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्रतिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या/रिपोर्ट ईट भट्टे के मुख्य द्वार से लगभग 2.0 कि.मी. की दूरी पर ग्राम-आसेही (आबादी लगभग 600) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर ग्राम-मौसी (आबादी लगभग 500) उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-बुटवल यादव का टोला (आबादी लगभग 300) एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एनएचओ पब्लिक स्कूल सरस्वती ग्राम-लक्सा बुजुर्ग लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी पर (आबादी लगभग 500) स्थित है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 32 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में भट्टे, चौमनी को जनघर्षे सो हेतु बू-तल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या/रिपोर्ट ईट भट्टे की कोई धारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा मानकों की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टा द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे का स्तर 3000 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुपलन नहीं है तथा ईट भट्टे की स्थापना हेतु कोई से स्वामांवं एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना धादिया की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत प्रतिबधित का उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन पर तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खवन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाईसेंस के तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्ता-6

- 1 जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, देवरिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्वी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

*Atul Singh Yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्ता-6

आज दिनांक 27-6-23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सं० एच 85582/सी०-6/ई०भ०/835/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स जय बजरंगवली इंट उद्योग, ग्राम- बराहीला, पी०- कौडी तिवारी, तहसील- सदर, जमशेद- देवरिया शिवा इंट भट्टे के जांच हेतु राजस्व टीम/पुलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समुदाय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इंट भट्टे का संचालन बन्द कराया गया। निरीक्षण के समय समुदाय टीम द्वारा इंट भट्टे को संचालन बन्द करवाया गया तथा इंट भट्टे का संचालन की अवगता करवाया गया कि भविष्य में इंट भट्टे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सतर्कता प्राप्त किये न किया जाये।

*(Handwritten signature)*  
 27-6-23  
 (जय बजरंगवली)  
 जय बजरंगवली इंट उद्योग  
 डी.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 गोरखपुर

*(Handwritten signature)*  
 27-6-23  
 (नाम) (सी०/ना)  
 देवरिया

श्री जय बजरंगवली इंट उद्योग  
 रामानन्द झा  
 27-6-2023

इस आदेश के अन्तर्गत कार्य किया गया है

श्री देवरिया (पाद)

**TRUE TYPED COPY****स्पॉट मेमो****कार्यवाही दिनांक: 27-06-2023**

---

आज दिनांक 27-06-23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एवं 95582/सी०-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैसर्स जय बजरंगबली ईट उद्योग, ग्राम-चरसमा, पो०-कोठी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया स्थित ईट भट्टे के मौके हेतु राजस्व टीम/पुलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित/चल पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा स्वामित्व को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना उक्त बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

स्मार-मेमो - 22-04-2024

मैंने जय बंधुसंग बेलो डी उद्योग, को डी, गेएट नैर्ण विकरी  
 लहसुन समु, गगपद देणलिंग का लैडुवव विरिडुव  
 काउ डिग्रेड 22/04/2024 को खिया गणा। विरिडुव  
 के साथ डी गदम, कदी आगेडम डिग्रेड 12-06/2024  
 के आहुपलन के कद पापा गणा। स्पल ग  
 उत्पादन से उन्नाधि नोई गति विरिडुव लेतां चडी  
 चापी लपी। गाम्वा करिग कावश्मक कारी गडे  
 देहु स्थगारी जपुटुर।

विडुव  
 (नमर)  
 UPPCB  
 GKF

(कोविडामन कारी)  
 देणलिंग

विडुव  
 (सुके कारिकारी)

(उनाम करिड)

विडुव  
 (जापकलहलीक कार)  
 सपद

विडुव  
 (उनाम विरिडुव)  
 उमे सुकिल  
 धातु गेडवली  
 देणलिंग

TRUE TYPED COPY

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक 27-06-2023

---

आज दिनांक 27-6-23 को उ०१० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एवं 05582/सी0-6/ई०म०/834/ बंदी आदेश / गोरखपुर / 2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुप्रगम में मैसर्स सरस्वती ब्रिक उद्योग, ग्राम- खोखाराम, पो०- बुडुर्ग, तहसील- सदर, जनपद- देवरिया स्थित ईट भट्टे के मौके हेतु राजस्व टीम /पुलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालित बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टो का संचालन बिना उक्त बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सादर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सादर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*Nilish Kumar*  
04/04/2026  
(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा० प्रया० अगि०/क्षेत्रीय अधिकारी गहोदय,

*Prinshl.*  
04.04.2026

*[Signature]*  
04/04/2026  
(R.O)

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्ठे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्ठा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*Neelish Kumar*  
20/03/2026  
(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा० प्रयो० अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी गहोदय,

*Singh*  
20.03.2026

*goh*  
(R.C)

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*Nitesh Kumar*  
24/12/2025  
(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा० पदा० अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*Singh.*  
26/12/2025

*R. C.*

**TRUE TYPED COPY****स्पॉट मेमो****कार्यवाही दिनांक: 27-06-2023**

---

आज दिनांक 27-06-23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एवं 95582/सी०-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैसर्स जय बजरंगबली ईट उद्योग, ग्राम-चरसमा, पो०-कोठी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया स्थित ईट भट्टे के मौके हेतु राजस्व टीम/पुलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित/चल पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा स्वामित्व को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना उक्त बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण  
(UTTAR PRADESH POLLUTIO

17-06-23  
12/8/23  
दिनांक.....  
पंजीकृत

सेवा में

मेसर्स सरस्वती त्रिक फील्ड,  
ग्राम-खोराराम, पोस्ट-दड़या बुजुर्ग,  
तहसील-रादर,  
जनपद-देवरिया।

यह कि मेसर्स सरस्वती त्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-दड़या बुजुर्ग, तहसील-रादर, जनपद-देवरिया जिसे अगले उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, गिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे के पूरव दिशा में लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अगोठी (आबादी लगभग 600) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 15 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बाजी (आबादी लगभग 500) उत्तर दिशा में लगभग ग्राम-रजला टोला लगभग 200 मीटर की दूरी (आबादी लगभग 300) एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एरा०डी० पब्लिक स्कूल तत्परचात ग्राम-दड़या बुजुर्ग लगभग 30 कि०मी० की दूरी पर (आबादी लगभग 500) स्थित है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 32 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में फलू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है तथा ईट भट्टे की स्थापना हेतु बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (संशोधित) के आडम्बरक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स सरस्वती त्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-दड़या बुजुर्ग, तहसील-रादर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (संशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न वन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स सरस्वती त्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-दड़या बुजुर्ग, तहसील-रादर, जनपद-देवरिया के संचालन का तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स सरस्वती त्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-दड़या बुजुर्ग, तहसील-रादर, जनपद-देवरिया की खगन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिनिधि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि वन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
पृष्ठ-6

Atulesh Kumar  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
पृष्ठ-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

ऑफिस प्राप्ति  
17-6-23

पत्रांक : 5582/सी-6/ईट भट्टा/834/नस्ती आदेश/गोरखपुर/2023

दिनांक 12/5/23

सेवा में,

मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग  
ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग,  
तहसील-सदर,  
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया द्वारा खुले अपने उद्योग कय कथित, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु मानकों के प्रतिकूल संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(1) के अन्तर्गत एक उद्योग है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्रतिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या/रिपोर्ट ईट भट्टे के मुख्य द्वार से लगभग 2.0 कि.मी. की दूरी पर ग्राम-आसेही (आबादी लगभग 600) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 1.5 कि.मी. की दूरी पर ग्राम-मौसी (आबादी लगभग 500) उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-बुटवल यादव का टोला (आबादी लगभग 300) एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एनएचओ पब्लिक स्कूल सरस्वती ग्राम-लक्सा बुजुर्ग लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी पर (आबादी लगभग 500) स्थित है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 32 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में भट्टे, चौमनी को जनघर्षे सो हेतु बू-तल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या/रिपोर्ट ईट भट्टे की कोई धारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा मानकों की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टा द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे का स्तर 3000 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुपालन नहीं है तथा ईट भट्टे की स्थापना हेतु कोई से स्वामांवं एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना धादिया की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत प्रतिबधित का उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन पर तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मैसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-चौरसमा, पोस्ट-लक्सा बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खवन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाईसेंस के तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्ता-6

- 1 जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, देवरिया।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्वी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulesh yadav  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
वृत्ता-6

टी.सी.12वीरें, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

Phone: 2720831, 2720826, 272069. & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

## स्पांट भेमा

कार्यवाही दिनांक 22/04/2024

मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढया गुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया को जारी बन्दी आदेश पत्रांक एन 95583/सी-6/ईट भदटा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023 दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में पूर्व में दिनांक 27.08.2023 को जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भदटे का संचालन बन्द करा दिया गया था। भदटे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में आज दिनांक 21/04/24 को जिला प्रशासन, पुलिस बल एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भदटा संचालित पाया गया, जिसे पुनः बन्द करा दिया गया है तथा उपरिगत प्रतिनिधि को अग्रिम कार्रवाई तक बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया।

Agarwal  
22/04/24  
वैसाफिफ अहमद  
(अहमदिया प्रसाद)  
U.P.P.C.B. G.R.P.

Sharma  
22/04/24  
देशीय अधिकारी  
(अमित कुमार शर्मा)  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण  
नियंत्रण बोर्ड  
गोरखपुर

Sharma  
रवन अधिकारी  
(जितेंद्र शर्मा)  
देवरिया

Sharma  
नामक तहसीलदार  
(रजेश शर्मा)  
देवरिया

Sharma  
22/04/24  
थाना सदर  
देवरिया

Sharma  
अतिरिक्त अधिकारी  
देवरिया


सरस्वती ब्रिक फिल्ड  
कम्यू पावर

22/04/24

माननीय एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 सं0- 208/2023 (एकजीक्यूशन एप्लीकेशन सं0- 8/2024 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, घेयरमैन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक माननीय एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 सं0- 208/2023 (एकजीक्यूशन एप्लीकेशन सं0- 8/2024 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, घेयरमैन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रतिनिधि के रूप में श्री शम्भू यादव उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त ईट भट्ठा मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया में स्थापित है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित अवस्था में नहीं पाया गया।
2. उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच. 95583/सी0-6/ई0भ0/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
3. उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठे को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए उक्त ईट भट्ठे को बन्द करा दिया गया।
4. उक्त ईट भट्ठे को बन्द कराकर पूर्व में बन्दी आदेश के अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।
5. निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन उक्त ईट भट्ठे द्वारा किया जाता हुआ पाया गया।
6. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
4/11/2024  
12/07/2024

ABK  
(आलोक शर्मा)  
जे0आर0एफ0

12-7-24  
(अयोध्या प्रसाद)  
वैज्ञानिक सहायक

मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पॉट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitin Kumar  
26/12/2025  
(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा पर्याप्त अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Prinshl.  
26/12/2025

(R.O.)

मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या वुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या वुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पॉट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।


उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitesh Kumar  
20/03/2026

(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा पर्यावरण अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

lsingh  
20.03.2026

  
20/03/2026  
(RC)

मेसर्स सरस्वती ग्रीक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ग्रीक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पोर्ट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पोर्ट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*Nitya Kumar*  
04/04/2026  
(नीतीश कुमार)  
अवर अभियन्ता

सहा प्रभो अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*Singh*  
04.04.2026

*[Signature]*  
04/04/2026  
(R.O)